Class - B.A-2 (H)
Paper- III
Name of the Guest Teacher - Khushbu Kumari, dept. of Pol. Science
V.S.J. College, Rajnagar
TOPIC - मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22) -

संविधान के भाग III के अन्तर्गत 19-22 अनुच्छेदो के अधीन स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये निम्नलिखित है —

(1) 6 मौलिक स्वतंत्रताएँ (अनु. 19) - संविधान का अनुच्छेद 19, सभी नागरिको को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। पहले इसमें 7 मौलिक स्वतंत्रताएँ थी लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार की समाप्ति के बाद अब 6 मौलिक स्वतंत्रताएँ है —

(i) भाषण और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता
(ii) सभाएँ करने की स्वतंत्रता
(iii) संगठन बनाने की स्वतंत्रता
(iv) घूमने की स्वतंत्रता
(v) निवास और स्थापित होने की स्वतंत्रता
(vi) व्यवसाय, कार्य, कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता।

Scanned with CamScanner

अपवाद — स्वतंत्रता के इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जैसे - भाषण और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता "भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता की सुरक्षा और न्यायालय की मानहानि, अनादर या अपराध को रोकने" के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसी प्रकार सभाएँ करने का अधिकार दो तरह से सीमित है — सभाएँ शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों से होनी चाहिए।

(ii) निरंकुश दण्ड के विरुद्ध सुरक्षा (अनु॰ 20) — अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत लोगों के द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में संविधान निरंकुश दण्ड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह निर्धारित करता है कि —

(i) किसी भी व्यक्ति को केवल विद्यमान कानूनों के उल्लंघन के आधार पर ही दण्ड दिया जा सकता है।

(ii) दण्ड देते समय किसी भी व्यक्ति को उस समय

पर लागू कानून के अनुसार ही दण्ड दिया जा सकता है।
(iii) एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया जा सकता और दण्ड नहीं दिया जा सकता है।
(iv) कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध करने का दोष है, उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कार्यपालिका के पास अनुच्छेद 359 के अधीन संकट-काल की स्थिति में अनुच्छेद 20 को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।

(iii) जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनु० 21) —

संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत नागरिकों और गैर-नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रताओं के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यह घोषित करता है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त इसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।" यह कानूनी न्याय के बिना दण्ड देने, कैद या शारीरिक कष्ट देने से रोकने का अधिकार प्रदान करता है।

संविधान के 86 वें संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21-A शामिल किया गया जिस के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया।

(iv) गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा (अनु० 22) —

अनुच्छेद 22 के द्वारा निरंकुश गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया गया है। यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको —

Scanned with CamScanner

(i) गिरफ्तार करने का आधार बताना जायेगा और इसके पास उसकी इच्छा के कानूनी वकीली परामर्श के द्वारा सुरक्षा लेने का अधिकार होगा।

(ii) उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटो के बीच सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसको न्यायाधीश के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत मे नहीं रखा जा सकता।

(iii) उपर्युक्त दोनों सुरक्षाएँ निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होती –

(i) ऐसे व्यक्ति जो एक समय शत्रु विदेशी हो, या

(ii) ऐसे व्यक्ति जिनको निवारक नजरबंदी के कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया हो।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु० 23 – 24) —

संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है —

(i) मनुष्यों की खरीद – बिक्री और बेगार की मनाही —

अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संविधान मनुष्यों की खरीद-बिक्री, बेगारी और इस प्रकार की बलपूर्वक मजदूरी की मनाही करता है। कानून के अनुसार इस व्यवस्था का उल्लंघन दण्डनीय है। औरतों और लड़कियों को अनैतिक उद्देश्य के लिए बेचने और खरीदने के विरुद्ध सुरक्षा के लिए अधिनियम एस. आई. टी. ए., 1956 से लागू है।

(ii) बच्चों को काम पर लगाने की मनाही (अनु० 24) —

अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य करने के लिए किसी कारखाने या खान अथवा किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जा सकता।

Scanned with CamScanner